



विकास कार्य AOM आमेर मु. जयपुर  
 युवराज 1/5 विद्यालय

दिनांक - 17/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>होता है कि युवराज के माता-पिता निवृत्त हो चुके हैं अतः वे प्राथमिक संरक्षण नहीं बना सकते हैं। युवराज के प्राथमिक संरक्षण माता-पिता ही हैं इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विद्यालय में प्रेषित करवाया जाये ताकि वे विद्यालय में प्रवेश कर सकें। विद्यालय में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना पत्र को विद्यालय में प्रेषित किया जाता है। परामर्श के लिए युवराज के माता-पिता को सूचित किया जा रहा है।</p>	

सहायक कलक्टर  
 आमेर मु. जयपुर